

जाति प्रमाण-पत्र

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे केन्द्रों में प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि..... नेखिका माधीरिया.....

सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... कुलवीर सिंह..... निवासी..... दुर्गानगर,

टी. ए. केम्प के पीछे, कौटा जवना, कौटा..... जिला..... कौटा

जाति..... जाट एस. सो...... समुदाय के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति तथा

अनुसूचित आदिम जाति (सूची संशोधन अधिनियम धारा 1958 संविधान अण्डमान

निकोबार अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1958 के अंतर्गत एक अनुसूचित जाति आदिम

जाति मानी जा चुकी है श्री..... नेखिका माधीरिया..... और इनका

परिवार साधारणतः नगर..... कौटा..... राज्य..... राजस्थान

संघ क्षेत्र..... कौटा..... के जिला..... कौटा..... के निवासी है।

आज दिनांक..... 6/9/85
15-9-85..... को यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर
तथा इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।



तहसीलदार लाडपुरा
विद्या हस्ताक्षर (राब.)

पद.....

कार्यालय की मोहर

राज्य संघ राज्य क्षेत्र